



उत्तराखण्ड विधान सभा

विधान सभा सचिवालय

उत्तराखण्ड

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 33 /वि0स0/05/संसदीय/2017

देहरादून, दिनांक: 03 जनवरी, 2018

अधिसूचना/प्रकीर्ण

माननीय राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 03 जनवरी, 2018 सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“ ‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद-174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डा0 के0 के0 पाल, राज्यपाल, उत्तराखण्ड एतद्वारा उत्तराखण्ड की चतुर्थ विधान सभा के वर्ष, 2017 के तृतीय सत्र का सत्रावसान तत्काल प्रभाव से करता हूँ।

डा0 के0 के0 पाल
राज्यपाल, उत्तराखण्ड।”

• आज्ञा से,

ह0/-

(जगदीश चन्द्र)

सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

संख्या : 33 /वि0स0/संसदीय/05/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,
2. माननीय उपाध्यक्ष के निजी सचिव को माननीय उपाध्यक्ष की सूचनार्थ,
3. माननीय नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव को माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूचनार्थ,
4. माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव को माननीय मुख्यमंत्री की सूचनार्थ,
5. समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
6. समस्त माननीय सदस्यगण, विधान सभा, उत्तराखण्ड,
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
8. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन,

9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून,
10. पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून,
11. प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, स्टेट बैंक के पीछे, इन्दिरा नगर, देहरादून को सूचनार्थ,
12. सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
13. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 84 संसद भवन, नई दिल्ली,
14. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड,
15. महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड,
16. प्रभारी मीडिया सेंटर, विधान भवन, उत्तराखण्ड,
17. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड,
18. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊ, उत्तराखण्ड,
19. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल,
20. सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली,
21. सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली,
22. महासचिव, लोक सभा/राज्य सभा तथा अन्य राज्यों की विधान सभा/विधान परिषद के प्रमुख सचिव/सचिव,
23. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
24. वरिष्ठ शोध एवं संदर्भ अधिकारी को बैव साईट में अपलोड हेतु।



(जगदीश चन्द्र)
सचिव।